न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 47 / 2023 (अपील)

उनवान

सुश्री पल्लवी वशिष्ठ पुत्री श्री अजय वशिष्ठ जाति ब्राहामण निवासी 359, रिद्धि–सिद्धी नगर प्रथम रेल्वे कोसिंग के पास बून्दी रोड कुन्हाडी कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

महेश विजयवर्गीय आत्मज श्री किशन स्वरूप विजय निवासी मकान नम्बर 7–बी–10, महावीर नगर योजना, तीन बत्ती चौराहा कोटा राज0

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट 1955
बनाराजगी आदेश दिनांक 01.11.2023
न्यायालय तहसीलदार दीगोद, कोटा

निर्णय दिनांक : 22.11.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2023 के विरूद्ध संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ख0न0 75 के खातेदार को बिना पक्षकार बनाये ख0न0 75 के सम्बन्ध में निर्णय देने में भारी त्रुटि की है। जबकि अपीलान्टा ने ख0न0 75 के खातेदार को पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नकल नक्शा से प्रमाणित था कि ग्राम गढेपान में ख0न0 75 दक्षिण पश्चिमी कोने पर स्थित था, जिसे ऑनलाईन नक्शा में बिना किसी अधिकार के तथा बिना सक्षम अधिकार के आदेश के बिना सम्बन्धित को बिना सूचित किये ऑनलाईन नक्शे में ख0न0 75 का स्थान बदल दिया, जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलान्टा ने परगना अधिकारी दीगोद के समक्ष कार्यवाही जैरकार है, के बावजूद भी आदेश विवादित आदेश देने में अपने अधिकारो का मिसयूज किया है जों

जांच का विषय है। टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 रास्ते के सुखाधिकार पर लागू होती है, सुखाधिकार के लिये 20 वर्ष से रास्ते का उपयोग उपभोग करना आवश्यक है जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि धोखे से 2016 में अपीलान्टा से खरीदी थी, जिसमें उसे रास्ते का सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित अनुबंध में रास्ता का उल्लेख होने मात्र से आदेश दिया है, जबकि अनुबन्ध के बाद तो विक्रय पत्र का पंजीकरण हो चुका है, जिसमे रास्ता का उल्लेख नहीं है। तथा अनुबध के बाद विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाने पर अनुबंध स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। रेस्पोडेन्ट को रास्ता का सुखाधिकार नहीं होने की स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट के खेत पर पहुचने क रास्ता नहीं होने की स्थिति में 251(क) के अन्तर्गत परगना अधिकारी दीगोद को अधिकार है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षैत्राधिकार में नहीं होने से शुन्य है। अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरवाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 1.11.2023 निरस्त फरमाया जावे

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पर आने जाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा ख0न0 75,76 में बने 40 फीट का सी0सी0 रोड खरीद के समय से ही बना हुआ है। तथा अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ बेचान इकरार नामा करते समय ख0न 75,76 में 40 फीट सीसी रोड से आने जाने हेतु अधिकृत किया हुआ है। उक्त रास्ते का उपयोग रेस्पोडेन्ट खरीद की तिथि से अपनी भूमि पर आने जाने हेतु से उपयोग करता आ रहा है। तथा रेस्पोडेन्ट को खेत में जाने का एक मात्र रास्ता है। अत अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाई जावे।

वकील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा की होकर सरकारी दस्तावेज होने से निर्णय में सहायक सिद्ध होगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 08.08.2024 स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनीं । पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर हुआ है कि वाके ग्राम गढ़ेपान तहसील दीगोद के खसरा संख्या 75 की संलग्न नक्शा ट्रेस में अलग अलग स्थिति प्रकट हो रही है। जो कि जांच का विषय है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ख0न0 75 की विधिवत् तरीके से जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा